न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 14/2020 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

जगदीश प्रसाद गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

सुरेन्द्र सिंह पुत्र गगनसिह हैप्पी होटल बिजली घर चौराहा जिला भरतपुर जाति सिख उम्र 39 वर्ष निवासी भरतपुर नर्सिंग होम के पास बीनारायण गेट भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थित :– 1. प्रार्थी (सायल)
2. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 19.01.2021

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 24.07.2020 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल दिनांक 19.01.2021 को उपस्थिति हुआ। इस्तगासा की नकल गैरसायल को दी गई। नियत दिनांक 19.01.2021 को गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 27.11.2019 को दोपहर 02.00 बजे गैरसायल का हैप्पी होटल बिजली घर चौराहा भरतपुर का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण होटल पर डीप फ्रिजर में करीब 4 कि0ग्रा0 पनीर आम जनता को विकय करने हेतु रखा था। जिसमें शक होने पर नियमानुसार मौके पर 1 कि0ग्रा0 पनीर 220/–रूपये में कय किया गया तथा उसमें से नमूना लिया गया तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/959/एक्ट/2019/10 दिनांक 03.01.2020 द्वारा उक्त पनीर का नमूना अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि यह प्रोडेक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है क्योकि प्रार्थी अन्य जगह से कय करके पनीर को होटल में सब्जी बनाने के काम में लेता है। प्रार्थी के द्वारा उक्त पनीर का निर्माण नहीं किया है। जांच में जो कमिया पायी गई है उन्हे सहवनवश एवं गलती स्वरूप अप्रार्थी स्वीकार करता है। जिसका मेरे द्वारा तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। गैरसायल की यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुये किसी भी खाद्य पदार्थ का आम जनता को विकय करेगा। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 27.11.2019 को गैरसायल के होटल पर संग्रहित 4 कि0ग्रा0 पनीर का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 03.01.2020 में अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त पनीर अन्य जगह से कय कर होटल में सब्जी बनाने में उपयोग करना बताया। गैरसायल के द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से खाद्य पदार्थो का आम जनता के लिये विकय किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। गैरसायल के द्वारा उक्त अनियमितता किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 20000/– रूपये (बीस हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दि. 19.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना महावर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)